Panchayats at the intermediate level may not be constituted in States having a population less than twenty lakhs. Vide Article 243 N the States/ UTs are required to amend their existing legislation within one year from the date of the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992 coming into force. Accordingly, this has to be completed before 24th April, 1994. After this, the State Governments/UT Administrations would have to take necessary action to implement the provisions of their state legislation.

**गुजरात में ग्रामीण और आदिवासी युवकों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण**

609. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण तथा आदिवासी युवकों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए जिले-वार निर्धारित किये गये लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में आज तक वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) वर्ष 1993-94 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस संबंध में अब तक यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल):** (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत लक्ष्य राज्यवार निर्धारित किए जाते हैं न कि जिलावार। योजना में यह निर्धारित किया गया है कि प्रशिक्षित युवाओं में कम से कम 50 प्रतिशत युवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के होने चाहिएं।

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के लिए ट्राइसेम योजना के अंतर्गत गुजरात में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा ट्राइसेम के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि और आवर्ती खर्च की स्थिति सलंग्न विवरण में दी गई है।

## विवरण

**रोजगार के संबंध में प्राप्त किए गये निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा**

(लाख रुपए में)

| वर्ष | लक्ष्य (प्रशिक्षित किए जानेवाले युवा) | उपलब्धि (प्रशिक्षित युवा) | प्रशिक्षित युवाओं में अनु. जाति/ अनु. जनजाति के युवा | रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता (आवर्ती खर्च) |
|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 37232 | 24192(64.9%) | 12902(53.3%) | 204.39 |
| 1992-93 | 9090 | 11209(123.3%) | 6565(58.6%) | 102.65 |
| 1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक) | 9877 | 3539(35.8%) | 1985(56.1%) | 157.24 |

प्रशिक्षण से ऋण सम्पर्क बनाने में पेश आने वाली कठिनाईयों, कुछ जिलों में उपयुक्त प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे के न होने तथा संख्या की बजाय प्रशिक्षण में बेहतर गुणवता पर बल दिया जाना कम उपलब्धि के कारण हैं।

**Shortage of Pure Drinking Water in Gujarat**

610. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) the number of villages facing acute shortage of pure drinking water in Gujarat;

(b) the target fixed to provide drinking water in these villages under the "Minimum Needs Programme' during the Eighth Five Year Plan; and

(c) the amount provided to the State for water supply to Saurashtra and Kutch areas by laying pipeline under the Accelerated Rural Water Supply Programme?